160

माननीय न्यायालय अध्यक्ष महोदय, म.प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर, कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

PBR/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/3654

प्रकरण क्रमांक /2017/निगरानी

प्रहलाद सिंह पिता कुमेर सिंह राजपूत
आयु 70 वर्ष, निवासी ग्राम वजीरपुर, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.) ....आवेदक

विरूद्ध

1. भैरूलाल पिता सिद्धू माली, निवासी ग्राम दारता खेडी, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम वजीरपुर प.ह.नं. 11 ....अनावेदक

पुनरिक्षण आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

पुनरिक्षण आवेदन पत्र न्यायलय तहसीलदार महोदय तहसील गुलाना, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 25-अ/12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 24/07/2017 के विरूद्ध निम्नानुसार पेश है –

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि –

1. यह कि अनावेदक भेरूलाल द्वारा ग्राम वजीरपुर तहसील गुलाना की भूमि सर्वे नं. 04 रकबा 1.55 हे. तथा सर्वे नं. 19 रकबा 2.51 हे. का सीमांकन कराये जाने बाबत् आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसपर दिनांक 21/05/2017 को सीमांकन के लिए घटित दल व मौका पटवारी द्वारा किया जाकर अनावेदक की भूमि सर्वे नं. 19 रकबा 2.51 हे. की उत्तर दिशा में 0.20 हे. भूमि पर आवेदक का आधिपत्य होना बताया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी ग्राम वजीरपुर, प.ह.नं. 11 द्वारा तहसीलदार गुलाना को दिनांक 19/06/2017 को प्रस्तुत की, जिसपर तहसीलदार महोदय ने उक्त सीमांकन रिपोर्ट को प्रकरण में संलग्न कर सीमांकन रिपोर्ट मान्य कर आदेश दिनांक 24/07/2017 को पारित किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायलय में समय अवधि में प्रस्तुत की गई हे। अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय गुलाना में सीमांकन के आधार पर धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है

निरंतर 2

निरतर 3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/3654

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक अधिवक्ता, श्री जे.एस. जाधव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	